न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 03/2017(जी.सी.एम.एस. 2017/00104)

अपीलांट	बनाम रेस्पोडेन्ट
1. मघर सिंह पुत्र गोपी राम जाति बावरी निवासी 62 एफ तहसील श्रीकरणपुर।	1. ग्राम पंचायत 61 एफ कमीनपुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. रूड सिंह पुत्र गोपीराम जाति बावरी निवासी 62 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. जीवों पत्नी गोपीराम जाति बावरी निवासी 62 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 4. नन्द कौर पत्नी भाग सिंह पुत्री गोपी राम जाति बावरी निवासी 4 बीएलडी तहसील विजयनगर। 5. रणजीत कौर पत्नी कृष्ण सिंह पुत्री गोपीराम जाति बावरी निवासी ढावावाली तहसील सुरतगढ। 6. सदा कौर पत्नी सतनाम सिंह पुत्री गोपीराम जाति बावरी निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।

अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम- 1956

तारीख रजू:- 02.06.2017

उपस्थितः 1.श्री सुधीर कुमार, श्री हरनेक सिंह अधिवक्ता अपीलांट

--निर्णय-- दिनांकः 24.01.2025

1- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया कि चक 62 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 24 के मुरब्बा नम्बर 22, 24, 22/15 की कुल 6.778 हैक्टेयर नहरी मय खाला भूमि अपीलान्ट के पिता गोपीराम पुत्र प्रेम सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। अपीलान्ट के पिता के द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त 6.778 हैक्टेयर भूमि में से मुरब्बा नम्बर 22 में 5-5 बीघा, मुरब्बा नम्बर 24 में 5-5 बीघा भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तथा शेष 6 बीघा 16 बिस्वा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को इस प्रकार दी थी कि जब तक वह जीवित रहेगी काश्त करेगी और उसके मरने के बाद अपीलान्ट एंव रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बराबर-बराबर वंटवारा कर प्राप्त करने के अधिकारी होगे, की एक वसीयत दिनांक 25.09.2010 को मुझ अपीलांट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 के पक्ष में तहरीर व तकमील करवाई थी। अपीलान्ट के पिता की मृत्यू दिनांक 29.09.2010 को हो चुकी है। अपीलान्ट के पिता की मृत्यू हो जाने के पश्चात उक्त वसीयत दिनांक 29.09.2010 कानूनन अस्तित्व में आज चुकी है। जिसकी रूह से अपीलान्ट मघर सिंह के नाम दर्ज कुल 6.778 हैक्टेयर नहरी मय खाला भूमि में से वसीयत में दर्ज 2.530 हैक्टेयर नहरी मय खाला भूमि का खातेदार मालिक हो चुका है, लेकिन रेस्पोडेन्टगण द्वारा आपस में मिलीभगत करके और सरपंच ग्राम पंचायत 61 एफ व हल्का पटवारी से मिलीभगत करके उक्त भूमि विरास्तन अपने नाम दर्ज करवा ली। जिसका विरास्तन इंतकाल संख्या 319 दिनांक 05.08.2011 सभी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 के नाम से करवा लिया है। मुझ अपीलान्ट की भूमि हडप करने की नियत से उक्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल रेस्पोडेन्टगण द्वारा जानबूझकर अपने नाम दर्ज करवाया गया है। जबकि उक्त वसीयत का सभी रेस्पोडेन्टगण को भली भांति ज्ञान था, फिर भी रेस्पोडेन्टगण ने आपस में मिलीभगत करके व सरपंच ग्राम पंचायत 61एफ एंव पटवारी हल्का से मिलीभगत करके उक्त विरास्तन इन्तकाल गलत आधारों पर अपने नाम दर्ज करवाया है। उक्त विरास्तन इन्तकाल विधि विरूद्व होने के कारण अपीलान्ट के अधिकारों पर बेअसर है। वसीयत दिनांक 25.09.2010 की रूह से विरास्तन इन्तकाल संख्या 319 दिनांक 05.08.2011 विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपील दायरा से दो रोज पूर्व अपीलान्ट रेस्पोडेन्टगण से मिला तथा उन्हें उक्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल संख्या 319 को निरस्त करवाने के लिये कहा और यह भी कहा कि वे वसीयत की रूह से उक्त भूमि का इन्तकाल दर्ज करवा देवे। तब रेस्पोडेन्टगण ने स्पष्ट इन्कार करते हुए कहा कि हमने तो उक्त भूमि गलत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

आधारों पर अपने नाम से दर्ज करवा ली है। अब हम उक्त विरास्तन इन्तकाल निरस्त नहीं करवायेगे और उक्त भूमि अन्यत्र बेचान करके खूर्द-बुर्द कर देगें और तुम्हे तुम्हारी भूमि से महरूम कर देगे। यदि रेस्पोडेन्टगण मुझ अपीलान्ट की उक्त आराजी को खूर्द-बुर्द करने में कामयाब हो गये तो मुझ अपीलान्ट को नाम पूरा हो सकने वाला नुकसान होगा। यही वाद कारण है। अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः अपील पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर चक 62 एफ के इन्तकाल संख्या 319 दिनांक 05.08.2011 को निरस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल किए जाने के आदेश दिए प्रदान करे।

2- अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं रेस्पोडेन्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, 5, 6 स्वंय उपस्थित आए। आपत्तिया पेश नहीं की। ग्राम विकास अधिकारी 61 एफ को इन्तकाल संख्या 319 दिनांक 05.08.2011 के कार्यवाही रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने हेतु पत्रांकःराजस्व/2018/394 दिनांक 05.10.2018, 338 दिनांक 12.09.2019, 365 दिनांक 27.10.2020, 434 दिनांक 30.07.2024 से निर्देशित किया गया। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा रिकॉर्ड पेश नहीं करने पर रिकॉर्ड बन्द किया गया।

3- बहस अपीलांट अधिवक्ता सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा चक 62 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 26/24 की प्रति, 62 एफ के इन्तकाल संख्या 319 दिनांक 05.082011 की प्रमाणित प्रति, गोपीराम के मृत्यू प्रमाण पत्र की प्रति, वसीयतनामा दिनांक 25.09.1010 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट के द्वारा चक 62 एफ के इन्तकाल संख्या 319 दिनांक 05.08.2011 को निरस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल किए जाने बाबत निवेदन किया गया है। लिहाजा अपील अपीलान्ट, व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेशः-

4- अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलान्ट विरूद्व विरास्तन इन्तकाल संख्या 319 दिनांक 05.08.2011 भली-भांति साबित होने से स्वीकार की जाकर चक 62 एफ के मुरब्बा नम्बर 22, 24, 22/15 की कुल 6.778 हैक्टेयर नहरी मय खाला भूमि के इन्तकाल संख्या 319 दिनांक 05.08.2011 को खारिज किया जाकर पूर्व की स्थित बहाल किए जाने के आदेश दिए जाते है तथा तहसीलदार श्रीकरणपुर को आदेशित किया जाता है कि मृतक गोपीराम पुत्र प्रेम सिंह जाति बावरी निवासी 62 एफ के विधिक वारिसान की जांच कर, वसीयत दिनांक 25.09.2010 को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिसम्मत नामान्तरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 24.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष न0:– 01501226005

ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2025/66

दिनांक :- 24.01.2025

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः- प्रकरण संख्या 03/2017 अनवान मघर सिंह बनाम ग्राम पंचायत 61 एफ अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट में पारित निर्णय दिनांक 24.01.2025 के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 24.01.2025 के अनुसार अपील अपीलान्ट विरूद्ध विरास्तन इन्तकाल संख्या 319 दिनांक 05.08.2011 भली-भांति साबित होने से स्वीकार की जाकर चक 62 एफ के मुरब्बा नम्बर 22, 24, 22/15 की कुल 6.778 हैक्टेयर नहरी मय खाला भूमि के इन्तकाल संख्या 319 दिनांक 05.08.2011 को खारिज किया जाकर पूर्व की स्थित बहाल किए जाने के आदेश दिए जाते है तथा तहसीलदार श्रीकरणपुर को आदेशित किया जाता है कि मृतक गोपीराम पुत्र प्रेम सिंह जाति बावरी निवासी 62 एफ के विधिक वारिसान की जांच कर, वसीयत दिनांक 25.09.2010 को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिसम्मत नामान्तरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)